उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-108/2015/445(34)/38-1-2015-3587/2009टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2015

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित-2013) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग में कार्यरत श्री जयकृत सिंह, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद की संस्तुति के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी (वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे- 5400) के पद पर नियमित पदोन्नति करते हुए तात्कालिक प्रभाव से जनपद- मेरठ में ही तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त नव प्रोन्नत खण्ड विकास अधिकारी की परिवीक्षा अविध 02 वर्ष की होगी, जिसे नियमानुसार आगे बढाया जा सकता है।

उमा कान्त पाठक
अनु सचिव

<u>संख्या-108/2015/445(34)(1)/38-1-2015 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) उप सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-125(1)08/पी/सेवा-07/2014-15, दिनांक 10.03.2015 के संदर्भ में।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ ।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ ।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ ।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।